

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(Railway Board)

S.No. PC-VII/ 117
No. PC-V/20016/PS/1(Stipend)

RBE No. 133 /2018
New Delhi, dated 11-9-2018


The General Managers
All Indian Railways and PUs
(As per mailing list)

Sub: Revision of rates of stipend to apprentices and trainees on Railways.

Consequent upon the revision in training period of few categories of Traffic and Commercial Departments, item Nos. 39, 41, 42, 45, 46, 47 of the Schedule of Board's letter of even number dated 02-02-2017 (RBE No. 08/2017) stands modified as under:

S.No.	Category	Training period	Grade Pay in VI CPC Pay Structure (Rs.)	Corresponding Revised Pay level in the 7 th CPC Pay Matrix	Revised rates of stipend in the corresponding Pay level (Rs.)
<u>Traffic and Commercial Departments</u>					
39.	Commercial Apprentices	80 days	4200	6	35400
41.	Ticket Examiner	26 days	1900	2	19900
42.	Train Clerks	18 days	1900	2	19900
45.	Goods Guards	30 days	2800	5	29200
46.	Traffic Apprentices for absorption in scales as Station Masters, Asstt. Yard Masters, Traffic Inspectors & Section Controllers	300 days	4200	6	35400
47.	Enquiry-cum-Reservation Clerk	26 days	2800	5	29200

- The above revised rates of stipend are applicable to those batches that undergo the modified training modules as indicated against the category.
- This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Ministry of Railways.
- Hindi version is enclosed.


(Subhankar Dutta)
Deputy Director, Pay Commission-V
Railway Board

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं /पीसी-VII/117
सं पीसी-V/2016/पीएस/1(स्टाईपेन्ड)
महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां,
(डाक सूची के अनुसार)

आरबीई सं. 133 /2018
नई दिल्ली, दिनांक 11/09/2018

विषय: रेलों में अप्रैन्टिस और ट्रेनी की स्टाईपेन्ड दरों में संशोधन ।

यातायात और वाणिज्य विभागों की कुछ कोटियों की प्रशिक्षण अवधि में संशोधन के परिणामस्वरूप, बोर्ड के दिनांक 02-02-2017 (आरबीई सं. 08/2017) के समसंख्यक पत्र की अनुसूची की मद सं. 39, 41, 42, 45, 46, 47 निम्नानुसार संशोधित की गई हैं:-

क्रम सं.	कोटि	प्रशिक्षण अवधि	छठे केन्द्रीय वेतन संरचना में ग्रेड वेतन (रु.)	सातवें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स में संशोधित तदनुरूपी वेतन लेवल	तदनुरूपी वेतन लेवल में स्टाईपेन्ड की संशोधित दरें (रु.)
यातायात और वाणिज्य विभाग					
39.	वाणिज्यिक प्रशिक्षु	80 दिन	4200	6	35400
41.	टिकट जांचकर्ता	26 दिन	1900	2	19900
42.	ट्रेन क्लर्क	18 दिन	1900	2	19900
45.	गुड्स गार्ड	30 दिन	2800	5	29200
46.	स्टेशन मास्टर, सहायक यार्ड मास्टर, यातायात निरीक्षक एवं खण्ड नियंत्रक के स्केल में समाहन के लिए यातायात प्रशिक्षु	300 दिन	4200	6	35400
47.	पूछ-ताछ सह आरक्षण लिपिक	26 दिन	2800	5	29200

2. स्टाईपेन्ड की उपर्युक्त संशोधित दरें उन बैचों पर लागू होंगी, जो कोटि के तहत यथा इंगित संशोधित प्रशिक्षण माँड्यूल प्राप्त करते हैं।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।



(शुभंकर दत्ता)
उप निदेशक, वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड